कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

वन भवन सी ब्लॉक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड न. 2 भोपाल (म०प्र०)

दूरभाष 0755–2674248, 2674318 फैक्स 0755–2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/STSF/WLC/2024/1292 भोपाल, दिनांक 09/08/2024

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व एवं संचालक राष्ट्रीय उद्यान
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

विषय :– **वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को हस्तांतरित करने के संबंध में दिशा–निर्देश।**

संदर्भ :– **मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक/एफ 15–36/2007/10–2 दिनांक 12.12.2008 एवं 17.06.2022**

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में बाघ एवं अन्य वन्यप्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश के अधीन एक स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) एवं अधीनस्थ 04 क्षेत्रीय इकाईयों इन्दौर, जबलपुर, भोपाल तथा शिवपुरी का गठन किया गया है। शासन द्वारा फोर्स के मुख्य दायित्व, वन्यप्राणी संबंधी अवैध गतिविधियों के नियंत्रण हेतु सूचना तंत्र विकसित करना व इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संबंधित कानून प्रवर्तन संस्थाओ के साथ समन्वय स्थापित करना, निर्धारित किये गये है। कालंतर में विभाग द्वारा फोर्स को संगठित एवं गंभीर वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों का अन्वेषण करने का दायित्व भी सौपा गया है।

एसटीएसएफ द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों के उपरांत भी विगत कुछ वर्षो में कई गंभीर एवं संगठित वन्यप्राणी अपराध गिरोह का पर्दाफाश कर इसमें लिप्त अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्जीय आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर सजा भी दिलाई गई है। एसटीएसएफ का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है एवं उनके द्वारा प्रकरण की गंभीरता व लिप्त नेटवर्क को ध्यान में रखकर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अनुमति से प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ अत्यंत गंभीर व संगठित अपराध गिरोह जिनका नेटवर्क प्रदेश के भीतर कई जिलों में अथवा प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में फैला हो, ऐसे प्रकरणों जो क्षेत्रीय वनमण्डल/टाइगर रिजर्व द्वारा दर्ज हो उनको मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र. की लिखित अनुमति से हस्तांतरित कर एसटीएसएफ द्वारा विवेचना की जाती है। उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों की संख्या अत्यंत कम ही होती है। मुख्यतः एसटीएसएफ द्वारा स्थानीय इकाईयों (वनमण्डल/टाइगर रिजर्व) द्वारा दर्ज वन अपराध प्रकरणों में संयुक्त कार्यवाही की जाती है व उनके अनुरोध पर प्रकरण की अग्रिम विवेचना में सहायता की जाती है।

विगत कुछ समय में यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय वनमण्डल/टाइगर रिजर्व के द्वारा अपने यह दर्ज प्रकरणों में बिना रूचि लिये उनकी अग्रिम जॉच/विवेचना हेतु एसटीएसएफ से कराये जाने का पत्राचार किया जा रहा है। यह तक की कुछ प्रकरणों में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की अनुमति के बिना ही मीडिया में भी यह प्रसारित कर दिया जाता है कि प्रकरण एसटीएसएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है या प्रकरण में अग्रिम विवेचना एसटीएसएफ के द्वारा की जा रही है। जो अनुचित है साथ ही संबंधित अधिकारी की कार्य के प्रति आरूचि को प्रदर्शित करता है।

अतः भविष्य में किसी गंभीर वन्यप्राणी अपराध प्रकरण को एसटीएसएफ को हस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो निर्धारित प्रारूप संलग्न में पत्राचार मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को किया जावें। इस कार्यालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता, लिप्त गिरोह के नेटवर्क तथा एसटीएसएफ पास पूर्व से लंबित प्रकरणो की संख्या आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया जावेगा कि उक्त प्रकरण को एसटीएसएफ हस्तांतरित किया जावेगा अथवा एसटीएसएफ द्वारा प्रकरण की विवेचना में सहायता प्रदान की जावेगी।

भविष्य में उक्त निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– प्रारूप।

9/8/24

(शुभरंजन सेन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को प्रकरण स्थांतरण हेतु प्रारूप

1. प्रकरण क्रमांक / दिनांक :–
2. परिक्षेत्र का नाम :–
3. वन मण्डल / टाइगर रिजर्व का नाम :–
4. जप्ती का विवरण :–
5. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धाराए जिनमें अपराध दर्ज हुआ है :–
6. प्रकरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की किस अनुसूची से संबंधित है :–
7. गिरफ्तार आरोपियों का विवरण :–

क्रमांक	आरोपी का नाम	पता	मोबाईल नं.	जिला	राज्य
1	2	3	4	5	6

8. वर्तमान में जेल में निरूद्व आरोपियो का विवरण :–

क्रमांक	आरोपी का नाम	मोबाईल नं.	पता	जेल का नाम / पता	ज्यूडिशियल रिमाण्ड अवधि (कब से कब तक)
1	2	3	4	5	6

9. फरार आरोपियों का विवरण :–

क्रमांक	आरोपी का नाम	पता	मोबाईल नं.	जिला	राज्य
1	2	3	4	5	6

10. घटना का संक्षिप्त विवरण :–
11. अपराध की प्रकृति–संगठित / असंगठित (कारण स्पष्ट करें) :–
12. अपराध में शामिल गिरोह की प्रकृति–राज्यीय / अंतर्राज्जीय :–
13. स्थानीय अमले की विवेचना करने में असमर्थता का कारण :–
14. वनमण्डल अधिकारी / उप सचालक की अनुशंसा (टीप) :–
15. मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्र संचालक की अनुशंसा (टीप) :–

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल

सी ब्लॉक, भू-तल, वन भवन, लिंक रोड क्रमांक-2, तुलसी नगर, भोपाल
दूरभाष 0755-2674318, 2674337] E-mail pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/108/ 11410 भोपाल दिनांक 19-12-2024

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. समस्त वनमंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय/वन्यजीव)
5. समस्त संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम
   मध्य प्रदेश

विषय : बाघ, तेन्दुआ,चीता एवं हाथी के मृत्यु के प्रकरणों में वरिष्ठ एवं मीडिया को समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/संरक्षण/2018/3751दिनांक 02.06.2018.

--oo--

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके कार्यक्षेत्र में बाघ, तेन्दुआ, चीता एवं हाथी की मृत्यु की घटना के उपरांत की जाने वाली कार्यवाही हेतु एनटीसीए, नई दिल्ली एवं इस कार्यालय के द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके द्वारा उक्त घटना की सूचना त्वरित इस कार्यालय एवं अन्य वरिष्ठों को उपलब्ध कराई जावें। अतः इस हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

क) तत्काल की जाने वाली कार्यवाही –

घटना की सूचना दूरभाष पर एवं मैसेंजिंग एप के माध्यम से मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख एवं एनटीसीए के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को अनिवार्य रूप से दी जावें। (प्रारूप-I)

ख) 24 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्यवाही –

1) प्रेस विज्ञप्ति जारी करें व उसकी प्रतिलिपि संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से स्थानीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रो को भेजे तथा उस प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक (कक्ष-मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति) तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष-समन्वय) को अनिवार्य रूप से ई-मेल के माध्यम से दी जावें।(प्रारूप-II)

2) इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिक प्रतिवेदन (12 बिन्दु) की जानकारी अनिवार्य रूप से ई-मेल के माध्यम से कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं एनटीसीए के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को दी जावें। (प्रारूप-III)

ग) अन्य की जाने वाली कार्यवाही –

एनटीसीए नई दिल्ली के निर्धारित द्वितीय/अंतिम प्रतिवेदन(15 बिन्दु) मय पोस्टमार्टम, फॉरेन्सिक एवं हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, घटना के 60 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र. को अनिवार्य रूप से दी जावे। (प्रारूप-IV)

उपरोक्त कार्यवाही संपादित किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र संचालक/संचालक/ वनमण्डलाधिकारी/संभागीय प्रबंधक की होगी। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय से इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देश/पत्र/प्रारूप अधिक्रमित किये जाते हे।

संलग्न –समस्त प्रारूप (कुल सख्या-04)।

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य (वन्यजीव) अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/संरक्षण/108/ 11411 भोपाल, दिनांक 19-12-2024

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, म.प्र.. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र.
6. प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, म.प्र. भोपाल
7. सहायक महानिरीक्षक वन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर
8. समस्त अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य (वन्यजीव) अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रारूप-।

दूरभाष/Messaging app के माध्यम से घटना की तत्काल सूचना बावत्।

(CWLW, HoFF & NTCA को जानकारी दी जावे)

1. Date of detection :
   दिनांक
2. Time of detection :
   समय
3. Place name :
   (Range/Beat/Comp./Other)
   स्थल (परिक्षेत्र/बीट/कक्ष/अन्य)
4. Sex :
   (Male/Female/Unknown)
   लिंग (नर/मादा/अज्ञात)
5. Age :
   (Adult/Subadult/Cub/Unknown)
   उम्र (वस्यक/अवस्यक/शावक/अज्ञात)
6. Probable cause of death :
   (Natural/Poaching/Unknown)
   मौत का संभावित कारण(प्राकृतिक/शिकार/अज्ञात)
7. Any otherimp. information :
   कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

प्रारूप-II
(24 घंटे के भीतर)

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी/टाइगर रिजर्व ....

क्रमांक .../2024 दिनांक ......

आज दिनांक ....को एक वन्यजीव बाघ/तेन्दुआ/चीता/हाथी की मृत्यु की घटना, जिसका स्थल वन भूमि/राजस्व भूमि कक्ष क्रमांक............बीट ....वनपरिक्षेत्र.........................के अंतर्गत प्रकाश में आई। जिस पर एनटीसीए नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी दिशा-निर्देश अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया व डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की कार्यवाही की गई। पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों के नाम 1) ....2).....................के द्वारा किया गया है। वन्यजीव बाघ/तेन्दुआ/चीता/हाथी के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाये गये अथवा शरीर के अंग ....गायब पाये गये, जिसके खोजबीन हेतु जॉच जारी है। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह/भस्मीकरण की कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक/संचालक, तहसीलदार, सरपंच/पंच, एनटीसीए के प्रतिनिधि/वन्यजीव विशेषज्ञ (सभी के नाम लिखे जावे) व अन्य की उपस्थिति में की गई।उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई है। प्रकरण में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

संलग्न – घटना से संबंधित फोटो (अधिकतम 02)

(हस्ताक्षर)
क्षेत्र संचालक/वनमण्डलाधिकारी/संभागीय प्रबंधक
कार्यालय ....
मध्यप्रदेश

प्रारूप-III
(24 घंटे के भीतर)
प्राथमिक सूचना
(वन्यजीव की मृत्यु के संबंध में)

1. सूचना का स्त्रोत :
2. सूचना मिलने का दिनांक/समय :
3. घटना का दिनांक/समय (यदि ज्ञात हो तो) :
4. मृत वन्यजीव का विवरण
   क) वन्यजीव का नाम :
   ख) लिंग :
   ग) अनुमानित आयु :
   घ) मृत्यु का प्रथम दृष्टया कारण :
   ङ) अन्य विवरण :
5. घटना स्थल का विवरण
   क) उप वनमण्डल : ख) परिक्षेत्र
   ग) परिक्षेत्र सहायक वृत्त : घ) बीट परिसर/बीट
   ङ) कक्ष क्रमांक : च) ग्राम का नाम
   छ) घटना स्थल की भू-आकृति(समतल/ढालू/तीव्र ढ़लान/पहाड़ी) :
   ञ) घटना स्थल के आसपास जल स्त्रोत की जानकारी :
   ट) घटना स्थल का जी.पी.एस. निर्देशांक :
   अक्षांश देशांतर
   ठ) घटना की स्थिति :
6. घटना स्थल की दूरी :
   क) निकटतम पेट्रोलिंग कैम्प/निगरानी चौकी से :
   ख) बीट मुख्यालय से :
   ग) परिक्षेत्र सहायक मुख्यालय से :
   घ) परिक्षेत्र मुख्यालय से :
   ङ) उप वनमण्डल मुख्यालय से :
   च) टाइगर रिजर्व/वनमण्डल मुख्यालय से :

7. घटना बाद श्रमिक/कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा स्थल पर पहुचने की जानकारी :-

अनु.क्र.	पहुचने वाले व्यक्ति का नाम	ओहदा/पदनाम	घटना स्थल पर पहुचने का समय
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			

8. पी.ओ.आर क्रमांकएवं दिनांक :

9. पकड़े गये अपराधियों की संख्या, नाम एवं सकूनत :
(यदि गिरफ्तार किये गये हो तो)

10. जप्ती का विवरण :

11. की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

....

....

....

....

12. वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई सूचना :

क) सूचना किस अधिकारी को दी गई :

1. पदनाम :

2. पदनाम :

ख) सूचना देने का दिनांक/समय :

ग) सूचना देने का माध्यम :

दिनांक एवं स्थल :

प्रेषक के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम